कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2489 / FP/UK/ROAD/150430/2021 :देहरादून: दिनांक: 03 मई, 2023

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21 + 476 तक) के निर्माण/सुधार हेतु 2.183 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./1276 दिनांक 26.12.2022।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) की पत्र संख्या–1750/12–1 दिनांक 24.03.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है, वचनबद्धता पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्त्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार उक्त बिन्दु के अनुपालन में "Being a central government project, this stipulated condition is not applicable. 4.4 hectares of degraded forest land is already provided by the Divisional Forest Officer, Tarai Central, Haldwani for implementation of CA Scheme against diverted forest land .Amount for implementation of CA is already deposited in CAMPA account".
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्त्ता अभिकरण की लागत पर 4.4 है अवनत वन भूमि खैर भाखड़ा ब्लॉक एन –1 गदगदिया राजि, तराई केंद्रीय वन प्रभाग पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेसी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, a compensatory afforestation shall be done on twice of the diverted forest land by the Forest Department. The amount against CA implementation is already deposited in CAMPA Fund."
ख)	वनमंडलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
ग)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाइल, सी0 ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्षारोपण करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी द्य प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा द्य इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "amount as per CA scheme is already deposited in CAMPA account".
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देसनुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.183 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "NHAI-PIU Rudrapur has already deposited amounting Rs 26,82,011.97/-(Rs. Twenty Six Lakhs Eighty Two Thousands and Eleven rupees and Ninety Seven Paisa only) under head of NPV and Rs 17,95,164.80/-(Seventeen Lakhs Ninety Five Thousands One Hundred Sixty Four rupees and Eighty paisa only) under head of CA. Total amount including Rs. 44,77,177.00/- (Rs Forty Four lakhs Seventy Seven Thousands One Hundred Seventy Seven only) has already been deposited in CAMPA account of Union Bank Account number".
ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, if the rate of NPV is increased by Hon'ble Supreme Court of India / Government of India, the project proponent hereby undertake to reimburse /pay the same to the forest Department on time. Undertaking for the same is attached".
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, Minimum

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
	रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 128 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	number of trees will be cut as much as possible for proposed road which are already enumerated and certified by Forest Department . The cost for tree cutting will be deposited to the state forest Department by the user Agency as per demand note of forest department. Undertaking for the same is attached".
7	गाइडलाइन्स मे दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के आलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल)https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थान्तरित / जमा किये जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, the amount for compensatory afforestation and NPV of this project already deposited to CAMPA fund. Details of the same is enclosed".
9	एफ आर ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, Certificate for FRA , 2006 is already issued from District Collector, Udhamsingh Nagar. Please refer FRA certificate"
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "This condtion is not applicable".
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
	प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, layout plan of proposed project will not be changed without permission of central Government. Undertaking enclosed".
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, no unauthorized labour camp /construction yard will be established on diverted Forest Land or in nearby forest area other than temporary camp /storage/parking of equipment / construction vehicles. Undertaking enclosed".
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, for the purpose of cooking, user Agency through construction contractor, commercial LPG will be provide to all construction workers. Undertaking enclosed".
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, pillar marking with geo –coordinates (both ways backward & forward) at the boundary of diverted forest land will be done under supervision of forest department. Undertaking enclosed".
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed and noted , it will be ensured that no new road/haul road will be constructed for travelling or transportation of construction material for construction of project road other than forest land diverted for which forest clearance is accorded. Undertaking enclosed".
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, it is ensured that forest land will not be used for any purpose other than the proposed road project. Undertaking enclosed".
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Noted and agreed that, diverted forest land for proposed project will not be transferred to any other agencies, department or individual under any circumstances without prior permission of the Central Government. Undertaking enclosed".
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 /2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, as of now no violation of forest conservation Act, 1980 has been committed on this project. User agency NHAI-PIU Vasant Vihar will adhere with all the conditions mentioned in Stage-1 forest clearance of this project. Undertaking enclosed".
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, the conditions/directions set by MoEF&CC from time to time in the interest of Conservation and development of forest and wild animals will be complied.".
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "It is certified that muck will not be disposed in forest area. The generated

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
	करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	muck will be re-utilized and in case additional muck generated, it will be reutilized in another section of project road. Undertaking enclosed".
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ निमय/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Agreed, noted. User agency undertakes to take all applicable clearances for the subject project applicable".
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार "Noted, the Compliance of Conditions stipulated in In-Principal approval of this project will be uploaded on MoEFCC web portal (https://parivesh.nic.in/.)"

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–2489 / FP/UK/ROAD/150430/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) की पत्र संख्या–1750/12–1 दिनांक 24.03.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।

02/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।